पहला द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक*

मौद्रिक नीति समिति ने आज की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति[1] के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि -

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुझान के अनुरूप है। इसका तारतम्य, वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधि लक्ष्य को +2/-2 प्रतिशत के दायरे में रखने के उद्देश्य से भी है। इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों का वर्णन नीचे दिए गए विवरण में किया गया है।

आकलन

2. फरवरी 2018 में एमपीसी की अंतिम बैठक के समय से, वैश्विक आर्थिक गतिविधि ने उन्नत और उभरती दोनों अर्थवयवस्थाओं में और गति प्राप्त की है, हालांकि वित्तीय बाजार अस्थिरता और संभावित व्यापार युद्ध इस संभावना के लिए एक खतरा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था जिसमें वर्ष 2017 के अंत में थोड़ी कमजोरी थी, उसमें वर्ष 2018 की पहली तिमाही में सुधार प्रतीत हुआ है, बेरोजगारी दर कम बनी हुई है जिसमें हायरिंग बहु-माह में उच्च स्तर पर रही। यूरो क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधि में उछाल रहा, हालांकि यूरो में सुदृढ़ीकरण के चलते उपभोक्ता खर्च और फैक्टरी गतिविधि धीमी हुई किंतु लगातार कम होती बेरोजगारी दर और उच्च उपभोक्ता विश्वास ने निरंतर रूप से अर्थव्यवस्था की ताकत को सहायता प्रदान की। जापानी अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2017 की चौथी तिमाही तक सीधे आठ तिमाहियों में वृद्धि दर्ज की, वर्ष 2018 के लिए उपलब्ध आंकड़े वर्ष के लिए धीमी गति की ओर संकेत करते हैं जिसमें फरवरी-मार्च में मशीनरी आदेश कमजोर रहे और विनिर्माण परचेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (पीएमआई) सहज रहा।

3. वर्ष 2018 की पहली तिमाही में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आर्थिक गतिविधि मजबूत रही। चीनी अर्थव्यवस्था में वर्ष की शुरुआत मजबूती के साथ हुई, खुदरा बिक्री ने गति पकड़ी जो ठोस उपभोग की ओर संकेत कर रही थी जबकि औद्योगिक उत्पादन ने भी बेहतर खनन और विनिर्माण गतिविधि के चलते वर्ष 2018 की पहली तिमाही में मजबूत वृद्धि दर्ज की। ब्राजील में, आर्थिक गतिविधि गति पकड़ रही है जिसका कारण उच्चतर पण्य-वस्तु कीमतें हैं। रूसी अर्थव्यवस्था में पहली तिमाही में भी सुधार जारी रहा, दो महीनों के संकुचन के बाद जनवरी-फरवरी में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा जबकि निर्यात में भी मजबूत गति से वृद्धि हुई। दक्षिण अफ्रीका में अग्रणी सूचक अर्थात विनिर्माण पीएमआई और कारोबारी विश्वास में पहली तिमाही में सुधार हुआ।

4. पहली तिमाही में विश्व व्यापार की मात्रा में मजबूत वृद्धि की संभावना है जैसाकि कंटेनर ट्रेड मात्रा, हवाई मालभाड़े और निर्यात आदेशों पर आंकड़ों से अनुमान लगाया गया है। हाल की अवधि में कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हो गई हैं। अमेरिका में अधिक उत्पादन के कारण कई वर्षों के उच्च स्तर से फरवरी में नरमी के बाद, कच्चे तेल की कीमतों में मार्च के दूसरे पखवाड़े में वृद्धि हो गई जिसका कारण ओपेक और रूस द्वारा आपूर्ति को पुनःसंतुलित करना और अमेरिकी इन्वेंटरी में कमी आना था। धातु की कीमतें बिक्री दबाव में आई हुई हैं जिसमें तांबा ने मार्च में तीन महीने के निम्नतम स्तर को छुआ, ऐसा वैश्विक व्यापार संरक्षणवाद और अमेरिकी मौद्रिक नीति से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता के कारण हुआ। सोने की कीमतें जिन्होंने मार्च में सबसे कम स्तर को छुआ, उसमें व्यापार युद्ध के बढ़ने के डर से हाल ही में कुछ वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति कई मुख्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से कम रही है।

5. वित्तीय बाजार फरवरी-मार्च में अस्थिर हो गईं जो अमेरिकी मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की गति और

* 05 अप्रैल, 2018 को जारी किया गया।

[1] इस संकल्प से, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि को आर्थिक गतिविधि के हेडलाइन उपाय के रूप में उपयोग किया जाएगा।

वैश्विक व्यापार की चिंताओं के संबंध में अनिश्चितता से बढ़ गई। वैश्विक स्तर पर इक्विटी बाजारों ने पिछली तिमाही के अधिकांश लाभों को फरवरी-मार्च में भारी सेल-ऑफ में गवां दिया जिसका कारण आशावादी अमेरिकी जॉब रिपोर्टें और अमेरिका द्वारा चीनी सामान पर नए टैरिफ लागू करना था। प्रत्याशित से कम मुद्रा दबावों और फेडरल रिज़र्व द्वारा अप्रत्याशित दर बढ़ाने के चलते अमेरिका में प्रतिफलों को साइडवे ट्रेड किया गया। अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिफल घट गए जबकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में ये देश-विशिष्ट कारकों के चलते भिन्न-भिन्न रहे। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर जिसमें अर्थव्यवस्था की आशावादी संभावना से मार्च की शुरुआत में कुछ सुधार हुआ, उसने अपना अधिकांश लाभ फेडरल रिज़र्व के कम तेजड़िया रुख और संभावित व्यापार युद्ध के चलते महीने के दूसरे पखवाड़े में गवां दिया। अन्य प्रमुख मुद्राओं में, क्षेत्र की सुधरते वृद्धि संभावना के कारण यूरो में निरंतर मूल्यवृद्धि हुई। अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं हाल की बाजार अस्थिरता और अमेरिका में उन्नत होती आर्थिक संभावना के मद्देनजर अपने पिछले स्तर पर चली गई, हालांकि निवेशकों द्वारा देश-विशिष्ट कारकों पर अंतर जारी रहा।

6. घरेलू अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने 28 फरवरी को वर्ष 2017-18 के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए जिनमें भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि को 5 जनवरी को जारी 6.5 प्रतिशत के पहले अग्रिम अनुमानों से थोड़ा बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2017-18 में जीडीपी वृद्धि 6.6 रही जो वर्ष 20161-7 के 7.1 प्रतिशत से कम थी और गिरावट व्यापक आधारित थी किंतु प्रत्येक घटक ने वर्ष के अंदर (इंट्रा-यीयर) टर्निंग पॉइंट दर्शाए। निजी उपभोग वृद्धि जिसका वर्ष 2017-18 में जीडीपी में 68 प्रतिशत योगदान रहा, दूसरी छमाही में कम हो गई। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन से आउटपुट की हानि और श्रम-सघन असंगठित क्षेत्र में रोजगार के माध्यम से शहरी उपभोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, चाहे यह क्षणिक प्रभाव ही हो। सरकारी व्यय ने समग्र मांग में संधारणीय सहायता प्रदान की जिसमें दूसरी छमाही में गति बढ़ गई। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में दूसरी तिमाही में परिवर्तन हुआ और यह दूसरी छमाही में बढ़ गया - तीसरी तिमाही में यह स्पष्ट देखा गया - जिसने पूंजीगत सामान उत्पादन में संधारणीय विस्तार तथा निर्माण गतिविधि के उदार पुनरुद्धार के प्रथम संकेत दिखाए। तीसरी तिमाही में आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी के कारण वर्ष 2017-18 में निवल निर्यात से समग्र मांग कम हो गई, जीएसटी संबंधित कार्यशील पूंजी बाधाओं से आंशिक रूप से निर्यात पर असर पड़ा।

7. चौथी तिमाही के लिए उच्च बारंबारता सूचक मांग स्थिति के अधिक सुदृढ़ीकरण की ओर संकते कर रहे हैं। घरेलू हवाई यात्रा ट्रैफिक और विदेशी पर्यटकों के आगमन में मजबूत वृद्धि, यात्री वाहनों की बढ़ती बिक्री वृद्धि तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में ठोस वृद्धि के कारण निजी उपभोग में सुधार प्रतीत हो रहा है। दुपहिया और ट्रैक्टरों की बिक्री में वृद्धि ग्रामीण उपभोग में उछाल दिखा रही है। पूंजीगत सामान के उत्पादन ने जनवरी 2018 में 19 महीने में उच्च वृद्धि दर्ज की जो निवेश मांग में संभावित संकर्षण की ओर संकेत करती है। बैंकों द्वारा प्रदान किया गया आवास ऋण उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है जो आवासीय निवेश के लिए सकारात्मक है। बाह्य मांग कमजोर कड़ी रही है। सोने के आयात के कारण व्यापारिक वस्तुओं की आयात वृद्धि धीमी रही है, साथ-साथ निर्यात वृद्धि में भी कमजोरी आई है।

8. अलग-अलग क्षेत्रीय स्तर पर आपूर्ति पक्ष पर, वर्ष 2017-18 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन को सितंबर 2017 में जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों की तुलना में फरवरी 2018 में जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2.8 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन 277.5 मिलियन अनुमानित किया गया है जो वर्ष 2016-17 के स्तर से 0.9 प्रतिशत अधिक है जिसमें चावल, दलहन और मोटे अनाज का उत्पादन उच्च रिकार्ड पर अनुमानित किया गया है। रकबे में कमी और मिट्टी की कम आर्द्रता के चलते गेहूं का उत्पादन का पिछले वर्ष की तुलना में कम अनुमान लगाया गया है किंतु 1.6 मिलियन टन के आयात और सुविधाजनक बफर स्टॉक से संभावित प्रतिकूल प्रभावों में सहायता मिलनी चाहिए। बागवानी उत्पादन ने वर्ष 2017-18 में 305.4 मिलियन टन की नई ऊँचाई को छुआ जो पिछले वर्ष से 1.6 प्रतिशत तक अधिक है।

9. पूरे 2017-18 वर्ष के लिए, सीएसओ के अनुमान जो उद्योग में संवृद्धित मूल्य है, पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया, तथापि तिमाही कार्यनिष्पादन के मामले में दूसरी तिमाही तक विस्तार शुरू हो गया था और तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में इसमें निर्माण हुआ। ऐसा मुख्य रूप से विनिर्माण में सुधार से हुआ। विनिर्माण पीएमआई मार्च

में आठवें लगातार महीने के लिए विस्तारकारी मोड में रहा, यद्यपि चौथी तिमाही में कुछ नरमी आई। विनिर्माण के लिए समग्र कारोबारी भावना के आकलन में भी चौथी तिमाही में सुधार हुआ जैसाकि रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण में परिलक्षित हुआ है, ऐसा बढ़ते आउटपुट और नए आदेशों के कारण हुआ। वर्ष के दौरान सेवा क्षेत्र में संवृद्धित मूल्य में तेजी आई ऐसा व्यापार, होटल, परिवहन और संचार तथा निर्माण गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि से हुआ। घरेलू हवाई यात्रा ट्रैफिक, अंतरराष्ट्रीय मालभाड़ा ट्रैफिक, बंदरगाह ट्रैफिक जैसे सेवा क्षेत्र की गतिविधि के अन्य उच्च बारंबारता सूचक और वाणिज्यिक वाहन बिक्री भी उचित गति से बढ़ी। सेवा पीएमआई संकुचन से बाहर हो गया और नए कारोबार में वृद्धि तथा मजबूत प्रत्याशाओं के कारण मार्च में स्थापित हुआ।

10. खुदरा मुद्रास्फीति जिसकी माप सीपीआई में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन द्वारा की गई, जनवरी के 5.1 प्रतिशत से घटकर फरवरी में 4.4 प्रतिशत हो गई, ऐसा खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण हुआ। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के आवास किराया भत्तों (एचआरए) में वृद्धि के अनुमानित प्रभाव को छोड़कर फरवरी के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.1 प्रतिशत थी। खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी में 120 आधार अंकों तक कम हुई, ऐसा दलहन में लगातार अवस्फीति के साथ विशेषकर प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों की कीमतों में तेज गिरावट से हुआ। अंडे, चीनी, माँस और फिश, तेल, मसालों, अनाज और दूध जैसे अन्य खाद्य घटकों की कीमतों में भी कमी देखी गई।

11. ईंधन और रोशनी समूह में तल पेट्रोलियम गैस के संबंध में मुद्रास्फीति में अंतरराष्ट्रीय मूल्य हलचल के अनुरूप कमी आई। इसके अलावा, जलाई जाने वाली लकड़ी और चिप्स तथा उपलों की कीमतों की वृद्धि दर में नरमी आई।

12. खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति जून 2017 में इसके स्तर से बढ़ने के बाद फरवरी में लगातार तीसरे महीने 5.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी रही। इसके घटकों के बीच आवास समूह मुद्रास्फीति उल्लेखनीय रूप से बढ़ी जिसमें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एचआरए वृद्धि परिलक्षित हुई। एचआरए प्रभाव को छोड़कर, इस समूह में मुद्रास्फीति उल्लेखनीय रूप से 4.4 प्रतिशत पर अनुमानित की गई। परिवहन और संचार समूह की मुद्रास्फीति पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों और परिवहन किरायों के कारण फरवरी में बढ़ गई। घरेलू वस्तुओं और सेवाओं, मनोरंजन, शिक्षा तथा व्यक्तिगत देखभाल और इनके प्रभावों जैसे अन्य मुख्य उप-समूहों में फरवरी में मुद्रास्फीति सहज रही या कम स्तर पर रही।

13. रिज़र्व बैंक द्वारा किए जाने वाले हाउसहोल्ड सर्वेक्षण के मार्च 2018 के दौर में मापी गई हाउसहोल्ड मुद्रास्फीति संभावनाओं में आगामी तीन महीने और एक वर्ष -दोनों अवधियों में वृद्धि हुई। रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण में कवर की गई विनिर्माण फर्मों ने निविष्टि मूल्यों में वृद्धि के दबाव और 2017-18 की चौथी तिमाही (ति4) में बिक्री मूल्यों में वृद्धि की रिपोर्ट की है, जिसके 2018-19 की पहली तिमाही (ति1) में जारी रहने की संभावना है। पीएमआई के मतानुसार विनिर्माण एवं सेवा फर्मों ने भी चौथी तिमाही (ति4) में निविष्टि एवं बिक्री मूल्यों में वृद्धि को दर्शाया है।

14. फरवरी-मार्च 2018 के दौरान, प्रणाली में चलनिधि में परिवर्तन अधिशेष और कमी के रूप में देखा गया। 1-11 फरवरी, 2018 के दौरान चलनिधि ₹272 बिलियन के दैनिक निवल औसत अधिशेष के स्तर से परिवर्तित होकर 12 फरवरी-01 मार्च के दौरान घाटे में चली गई, जिससे सरकारी व्यय और बड़े कर संग्रहों में मंदी परिलक्षित हुई। 2-15 मार्च के दौरान अधिशेष में परिवर्तित होने के बाद, प्रणाली के अंतर्गत चलनिधि में 16-22 मार्च के दौरान पुन: कमी हो गई, इसका मुख्य कारण तिमाही अग्रिम करों का बहिर्वाह रहा। मार्च के अंत में चलनिधि में मौसमी कमी के पूर्वानुमान के साथ, रिज़र्व बैंक ने रेपो के अंतर्गत परिवर्तनशील दरों पर अपेक्षाकृत लंबी अवधि (24-31 दिन) वाली 04 अतिरिक्त खरीद किया, जिसका कुल मूल्य नियमित रेपो बिक्री के अलावा ₹1 ट्रिलियन रहा। अप्रैल और मई 2017 में बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत जारी खजाना बिलों के मोचन के माध्यम से प्रणाली में मार्च के मध्य में ₹1 ट्रिलियन मूल्य की अतिरिक्त चलनिधि का समावेश हुआ। समग्र रूप से, रिज़र्व बैंक ने फरवरी और मार्च महीनों में निवल दैनिक औसत आधार पर ₹60 बिलियन और ₹213 बिलियन की राशि का अंतर्वेशन किया। भारित औसत मांग दर (डब्लूएसीआर) नीतिगत रेपो दर के करीब पहुंच गई। यह दर जनवरी में नीतिगत दर से 12 आधारभूत अंक कम थी जो घटकर फरवरी में 7 आधारभूत अंक और मार्च में 5 आधारभूत अंक नीचे रह गई।

15. जनवरी और फरवरी 2018 में व्यापारिक पण्यों की निर्यात संवृद्धि में कमी आई। यह कमी जवाहरातों और आभूषणों, सिलेसिलाए वस्त्रों तथा अभियांत्रिकीय वस्तुओं के निर्यात में गिरावट के कारण आई। फरवरी में आयात वृद्धि में भी कमी आई, जिसके कारण स्वर्ण आयात में कमी होना, गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयातों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होना, और परिवहन उपस्कर, वनस्पति तेलों तथा दालों के निर्यातों में कमी आना रहे। जनवरी-फरवरी में आयात वृद्धि के निर्यात वृद्धि से अधिक होना जारी रहने के कारण व्यापार घाटा बढ़ा। 2017-18 की तीसरी तिमाही (ति3) में चालू खाता घाटा बढ़ा, जिसका प्राथमिक कारण व्यापार घाटा अपेक्षाकृत अधिक होना रहा। अप्रैल-जनवरी 2017-18 में एक वर्ष पहले के स्तर की तुलना में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई। फरवरी में वैश्विक बिक्री के चलते निवल बिक्री के बावजूद 2017-18 में विदेशी संविभाग निवेशकों ने निवल खरीद को अंजाम दिया। 30 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 424.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर रही।

संभावना

16. फरवरी 2017-18 के छठे द्विमासिक संकल्प में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के - 2017-18 की चौथी तिमाही (ति4) में 5.1 प्रतिशत; 2018-19 की पहली छमाही (छ1) में 5.1-5.6 प्रतिशत की सीमा में और दूसरी छमाही (छ2) में 4.5-4.6 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की गई थी। इन संभावनाओं में मकान किराया भत्ता (एचआरए) के प्रभावों को समाहित किया गया था, जिनके अंतर्गत जोखिमों को वृद्धिशील बताया गया था। जनवरी-फरवरी में मुद्रास्फीति के वास्तविक परिणामों का औसत 4.8 प्रतिशत रहा, जो व्यापक रूप से सब्जियों की कीमतों में आई तीव्र कमी और ईंधन समूह की स्फीति में आई महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि सब्जियों की कीमत में कमी मार्च में भी जारी रही। तदनुसार, 2017-18 की चौथी तिमाही (ति4) से संबंधित मुद्रास्फीति संभावना अब 4.5 प्रतिशत दर्शाई गई है।

17. मुद्रास्फीति दृष्टिकोण पर कई कारकों का असर पड़ने की संभावना है। पहला कारक, पहली छमाही में खाद्य मूल्यों में कमी होने के बावजूद, फरवरी-मार्च में खाद्य मूल्यों में तीव्र सुधार आने से 2018-19 की पहली छमाही (छ1) में मुद्रास्फीति का दायरा फरवरी वक्तव्य में दिए गए अनुमानों से कम रहने की संभावना है। सामान्य मानसून के अनुमान और सरकार द्वारा प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन के कारण समग्र खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रहना चाहिए। दूसरा कारक, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में मार्च के उत्तरार्द्ध में हाल की अवधि इसमें उतार-चढ़ाव आया, जिसके तहत भूसी (शेल) उत्पादन की संभावना से अधिक रहने के बावजूद मार्च के उत्तरार्द्ध में विशिष्ट प्रकार की कठोरता का रुझान रहा। इसने कच्चे तेल के मूल्यों परिदृश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। तीसरा कारक, वर्तमान आकलन के आधार पर, वर्ष के दौरान भारत में घरेलू मांग के मजबूत होने की संभावना है। चौथा कारक, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता (एचआरए) में हुई बढ़ोतरी का सांख्यिकीय प्रभाव 2018 के मध्य तक जारी रहेगा और उसके बाद इसमें क्रमिक रूप से कमी आएगी।

18. इन कारकों पर विचार करते हुए, 2018-19 की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति अनुमानों को संशोधित करते हुए 2018-19 की पहली छमाही (छ1) में 4.7-5.1 प्रतिशत और दूसरी छमाही (छ2) में 4.4 प्रतिशत रहने की संभावना जताई गई है। इन संभावनाओं में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित मकान किराय भत्ता (एचआरए) के प्रभावों को समाहित किया गया था, जिनके अंतर्गत जोखिमों को वृद्धिशील बताया गया था (चार्ट 1)। एचआरए संशोधनों के प्रभाव को छोड़ते हुए सीपीआई मुद्रास्फीति 2018-19 की पहली छमाही (छ1) में 4.4-4.7 प्रतिशत और दूसरी छमाही (छ2) में 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

19. वृद्धि परिदृश्य की बात करें तो, ऐसे कई कारक हैं जिनसे 2018-19 में आर्थिक गतिविधि की रफ्तार में तेजी आने की संभावना है। पहला कारक, निवेश गतिविधि में बहाली के स्पष्ट लक्षण हैं, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में निरंतर विस्तार हुआ है और आयात अभी भी

चार्ट 1: तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

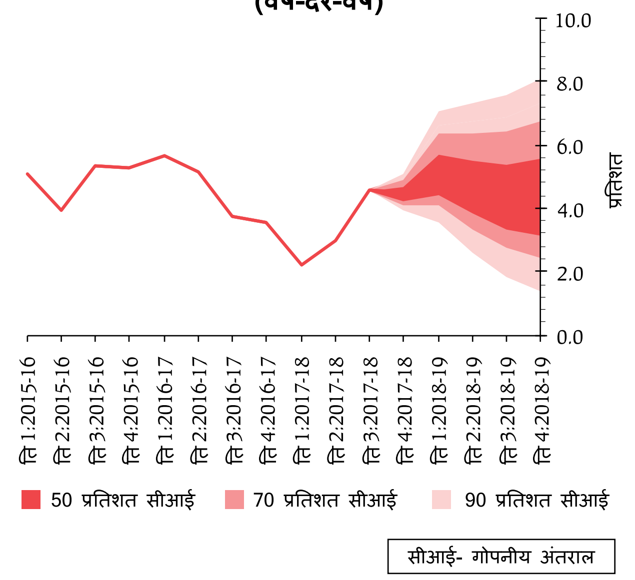

चार्ट 2: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का त्रैमासिक पूर्वानुमान (वर्ष-दर-वर्ष)

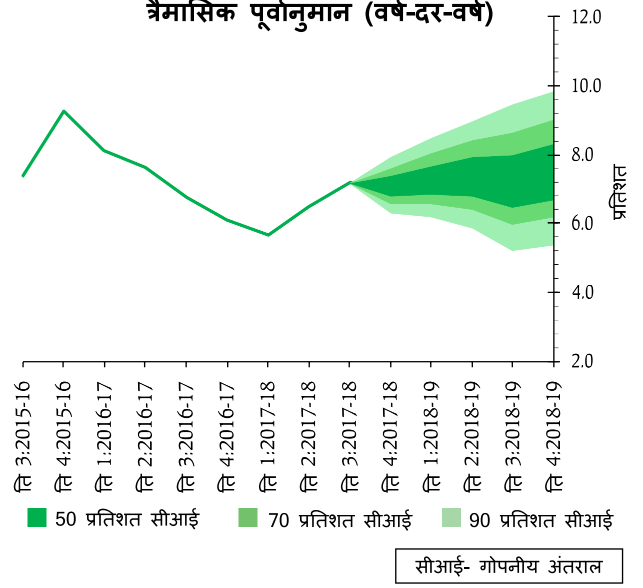

बढ़ रहा है, यद्यपि, जनवरी की तुलना में इसकी गति कुछ धीमी रही। दूसरा कारक, वैश्विक मांग में सुधार होना रहा है जो निर्यातों को प्रोत्साहित करेगा और नए निवेश को बढ़ावा देगा। समग्र रूप से, जीडीपी वृद्धि 2017-18 के 6.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है - जिसके पहली छमाही (छ1) में 7.3-7.4 प्रतिशत के बीच और दूसरी छमाही (छ2) में 7.3-7.6 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है- जिसके अंतर्गत जोखिम समान रूप से संतुलित है (चार्ट 2)[2]।

20. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) यह नोट करती है कि आधारभूत मुद्रास्फीति पथ बहुत सी अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। पहली अनिश्चितता, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमपीएस) के संशोधित सूत्र, जैसा कि 2018-19 के संघीय बजट में घोषणा की गई है, से संबंधित है जिसका प्रभाव मुद्रास्फीति पर पड़ सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव आगामी महीनों में ही पता चलेगा। दूसरा कारक, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एचआरए में किए गए संशोधनों का अत्यधिक प्रभाव है, जो मुख्य मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। हालांकि, एचआरए संशोधनों के सांख्यिकीय प्रभावों को देखा जाएगा, किंतु दूसरे दौर के किसी तरह के प्रभावों पर नजर रखने की जरूरत है। तीसरा कारक, 2018-19 से संबंधित संघीय बजट अनुमानों या मध्यावधिक पथ से और अधिक राजकोषीय विचलन होना है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति की संभावनाओं पर विपरीत असर डाल सकता है। मुद्रास्फीति को राज्यों के स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्रतिबद्धता व्यय के कारण राजकोषीय विचलनों से भी जोखिम है। चौथा कारक, मानसून के सामयिक रूप से और/या स्थान की दृष्टि से कमजोर होना है, जिसका खाद्य स्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। पांचवा कारक, रिज़र्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण में मत देने वाली फर्मों की आगे चलकर निविष्टि और बिक्री मूल्यों के बढ़ने की अपेक्षा है। छठा कारक, कच्चे तेल मूल्यों में उतार-चढ़ाव है जिसने अल्पावधिक संभावनाओं में काफी अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है।

21. उक्त पृष्ठभूमि के मद्देनजर, मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखते हुए तटस्थ रुझान को जारी रखने का निर्णय लिया है। मौद्रिक नीति समिति मुख्य मुद्रास्फीति के मध्यावधिक लक्ष्य को, टिकाऊ आधार पर, 4 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को पुन: दोहराती है।

22. मौद्रिक नीति समिति यह नोट किया है कि वृद्धि बहाल हो रही है और उत्पादन अंतराल समाप्त हो रहा है। हाल के महीनों में ऋण उठाव में हुई वृद्धि से भी यह परिलक्षित हुआ है। प्राथमिक पूंजी बाजार से बड़े संसाधन जुटाए जाने से निवेश संबंधी गतिविधियों को और सहारा मिलना चाहिए। घरेलू चक्रीय बहाली प्रगतिशील है, किंतु दीर्घावधिक संभाव्य वृद्धि को हाल ही में किए गए विभिन्न संरचनागत सुधारों से भी संबल प्राप्त होने की अपेक्षा है। कमजोर पक्ष को देखा जाए तो, सार्वजनिक वित्त में कमी होने से निजी वित्तपोषण और निवेश के बाहर निकलने का जोखिम है। इसके अलावा, वैश्विक वृद्धि और और व्यापार के मजबूत होते रहने के बावजूद बढ़ते व्यापर संरक्षणवाद ओर वित्तीय बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण जारी वैश्विक बहाली की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इस अस्थिरताकारी वैश्विक परिवेश में, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि घरेलू समष्टिगत आर्थिक मूलभूत कारकों को मजबूत किया जाए, दबावग्रस्त कॉर्पोरेटों को डिलिवरेज किया जाए और बैंकों के तुलन-पत्रों का दृढ़तापूर्वक पुनर्निर्माण किया जाए और जोखिम साझा करने वाले बाजारों को गहन बनाया जाए।

23. डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया, डॉ. विरल वी. आचार्य और डॉ. उर्जित आर. पटेल ने मौद्रिक नीति निर्णय के पक्ष में मत दिया। डॉ. माइकल देबब्रत पात्र ने नीतिगत दर में 25 आधारभूत अंकों की वृद्धि करने के पक्ष में मत दिया। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त का प्रकाशन 19 अप्रैल 2018 तक प्रकाशित कर दिया जाएगा।

मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 5 और 6 जून 2018 को होना तय किया गया है।

[2] छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में, 2018-19 के लिए अंतर्निहित जीडीपी वृद्धि के 7.4 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था जिसके पहली छमाही में में 7.4-7.5 प्रतिशत के बीच और दूसरी छमाही में 7.3-7.4 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना थी।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने, वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहरा करने; मुद्रा प्रबंधन में सुधार; वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने और डेटा प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन और पर्यवेक्षण

1. कार्यशील पूंजी वित्त में अनिवार्य ऋण घटक

कार्यशील पूंजी उधारकर्ताओं के बीच अधिक से अधिक ऋण अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्ताव रखा गया है कि बड़े उधारकर्ताओं के लिए निधि आधारित कार्यशील पूंजी वित्त में 'ऋण घटक' के न्यूनतम स्तर का निर्धारण किया जाए। इस संबंध में प्रतिक्रिया के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।

2. काउंटरसायकल कैपिटल बफर

काउंटरकालिक कैपिटल बफर (सीसीसीबी) की रूपरेखा 5 फरवरी, 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा संस्थापित की गई थी जिसमें यह सलाह दी गई थी कि परिस्थितियों की अनुकूलता के अनुसार सीसीसीबी सक्रिय हो जाएगा और इस निर्णय की सामान्य रूप से चार तिमाहियों की समय-सीमा के साथ पूर्व घोषणा की जाएगी। रूपरेखा में मुख्य सूचकांक के रूप में क्रेडिट-टू-जीडीपी अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका प्रयोग अन्य पूरक संकेतकों अर्थात तीन वर्षों की चर अवधि के लिए क्रेडिट-जमा (सीडी) अनुपात (क्रेडिट-टू-जीडीपी अंतर और जीएनपीए की वृद्धि से उसके सहसंबंध के साथ), औद्योगिक दृष्टिकोण (आईओ) मूल्यांकन सूचकांक (जीएनपीए की वृद्धि के साथ उसके सहसंबंध की उचित नोट के साथ) और ब्याज कवरेज अनुपात (क्रेडिट-टू-जीडीपी अंतर के साथ उसके सहसंबंध को ध्यान में रखते हुए) के साथ संयोजन से किया जा सकता है। सीसीसीबी संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य परीक्षण के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि इस समय सीसीबीसी को सक्रिय करना आवश्यक नहीं है।

3. भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) के कार्यान्वयन को आस्थगित करना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए 11 फरवरी, 2016 के हमारे परिपत्र के अनुसार यह आवश्यक था कि वे 1 अप्रैल 2018 से भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) को लागू करें। हालांकि, इसे देखते हुए कि - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तीसरे अनुसूची में निर्धारित वित्तीय विवरणों के प्रारूपों को आईएनडी एएस के तहत खातों के साथ संगत बनाने के लिए, आवश्यक विधायी संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं- कई बैंकों की तैयारी के स्तर के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि जब आवश्यक विधायी परिवर्तन अपेक्षित है तब एक साल तक आईएनडी एएस के कार्यान्वयन को आस्थगित रखा जाए।

4. भुगतान प्रणाली डेटा का संग्रहण

हाल के दिनों में, भारत में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में नई भुगतान प्रणालियों, सहभागियों और प्लेटफार्मों के उद्भव के साथ काफी विस्तार हुआ है। डिजिटल भुगतानों में वृद्धि की स्वस्थ गति को बनाए रखते हुए डेटा के उल्लंघनों की जोखिम को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वोत्तम वैश्विक मानकों को अपनाकर उनकी निरंतर जांच और निगरानी के द्वारा भुगतान प्रणाली डेटा की रक्षा और सुरक्षितता सुनिश्चित की जाए।

यह देखा गया है कि वर्तमान में केवल कुछ भुगतान प्रणाली ऑपरेटर और उनके आउटसोर्सिंग पार्टनर भुगतान प्रणाली डेटा को देश में आंशिक या पूरी तरह से स्टोर करते हैं। पर्यवेक्षी प्रयोजनों के लिए सभी भुगतान डेटा तक अबाध पहुंच के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित डेटा 6 महीनों के भीतर सिर्फ देश के अंदर ही स्टोर हो। इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे।

II. वित्तीय बाजार

5. आईआरएस मार्केट में गैर-निवासियों को प्रवेश

रुपया ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) बाजार, यद्यपि ब्याज दर व्युत्पन्न बाजारों में सबसे अधिक तरल है, अभी भी बड़े बैंकों को जोखिमों का प्रबंधन करने में सक्षम होने की गहराई उसमें नहीं है। अल्प सहभागिता और परिणामी विचारधाराओं की भिन्नता की अनुपस्थिति मूल्य निर्धारण की अक्षमता में बदलती है, जो आगे भागीदारी को हतोत्साहित करती है। इसी समय, यह समझा जाता है कि अपतटीय के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप एक सक्रिय बाजार है। साथ ही,

भारतीय बाजार में एफपीआई जैसे गैर-निवासी सहभागियों की ऋणों में भागीदारी बढ़ रही है। एक गहरा आईआरएस बाजार जो अलग-अलग सहभागियों को समायोजित करता है, विकसित करने के लिए, प्रस्तावित है कि भारत में रुपये के आईआरएस बाजार तक गैर-निवासियों को अनुमति दी जाए। मई 2018 के अंत तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए विस्तृत मसौदा विनियमावली जारी की जाएगी ।

6. रुपया स्वैपशन का परिचय

पी.जी.आपटे वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के बाद दिसंबर 2016 में रिज़र्व बैंक ने रुपया ब्याज दर विकल्प (आईआरओ) की शुरुआत की। केवल सादे वेनिला ब्याज दर विकल्प को शुरू में अनुमति दी गई थी। इसके बाद, निगमों सहित बाजार सहभागियों ने ब्याज दर जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्वैपशन की आवश्यकता व्यक्त की है। भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) ने अपने सदस्यों की तरफ से एक समान अनुरोध व्यक्त किया है। इसलिए, रुपये में ब्याज दर के स्वैपशन की अनुमति देने का प्रस्ताव है, ताकि ब्याज दर जोखिम से बचाव पाने वालों को समय में बेहतर लचीलेपन में सक्षम किया जा सके। दिशानिर्देश अप्रैल 2018 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

7. प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) दिशा निर्देशों की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2010 में सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) की शुरुआत की। कुछ शुरुआती रूची के बाद, उत्पाद को बाजार में ज्यादा पसंदी नहीं मिली। स्ट्रिप्स में व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए इसे बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और निवेशकों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए इन दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है। संशोधित दिशानिर्देश अप्रैल 2018 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

8. गैर-व्यक्तिगत बाजार प्रतिभागियों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलआईआई)

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलआईआई) कोड को एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। एलआईआई एक 20-करैक्टरों वाला विशिष्ट पहचान कोड है जो एक वित्तीय लेनदेन करनेवाली इकाइयों को प्रदान किया जाता हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले से ही ब्याज दर, मुद्रा और क्रेडिट बाजारों में ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्न उत्पादों के सभी बाजार सहभागियों के लिए एलआईआई कोड लागू कर दिया है। यह बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए भी लागू किया गया था। वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता में सुधार के इस प्रयास को जारी रखते हुए, गैर-व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी वित्तीय बाजार लेनदेन के लिए, ब्याज दर, मुद्रा या क्रेडिट बाजार में एलआईआई तंत्र को लागू करने का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट दिशानिर्देश अप्रैल 2018 के अंत तक जारी किए जाएंगे।

9. भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की रिपोर्टिंग के लिए एकल मास्टर फॉर्म का प्रारंभ

गैर-निवासियों द्वारा भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेशक कंपनी द्वारा जारी इक्विटी शेयरों, अनिवार्य परिवर्तनीय वरीयता शेयर, अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स, शेयर वारंट इत्यादि जैसे पात्र उपकरणों के जरिए या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) में पूंजी योगदान करके किया जाता है। वर्तमान में, विदेशी निवेश वाले उपरोक्त लेन-देन की रिपोर्टिंग विभिन्न प्लेटफार्मों / मोडों में एक विघटित तरीके से होती है। रिज़र्व बैंक एक सिंगल मास्टर फॉर्म के माध्यम से 30 जून, 2018 तक एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुरू करने की योजना बना रहा है जो सभी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगा, चाहे जिस साधन के माध्यम से विदेशी निवेश किया जाता हो।

10. प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा रिर्पोटिंग

वर्तमान में, प्रेषक द्वारा की गई घोषणा के आधार पर प्राधिकृत डीलर (एडी) बैंकों द्वारा उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लेनदेन की अनुमति दी जा रही है। ऐसे में, एडी बैंकों के लिए यह निगरानी/ सुनिश्चित करना मुश्किल है कि एक प्रेषक ने कई एडी बैंकों के पास पहुंचकर निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। एलआरएस सीलिंग की बेहतर निगरानी और अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बैंकों द्वारा व्यक्तिगत लेनदेन के दैनिक रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली को लागू करने का निर्णय

लिया गया है । यह अन्य बातों के साथ-साथ, एडी बैंकों को आगे प्रेषण की अनुमति देने से पहले ही एक व्यक्ति द्वारा पहले ही किए गए विप्रेषण को देखने के लिए सक्षम करता है, इस प्रकार इसने एक प्रेषणकर्ता की एक से अधिक एडी बैंकों के पास आकर एलआरएस सीमा का उल्लंघन करने की संभावना को दूर कर दिया। इस संबंध में विस्तृत अनुदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

III. मुद्रा प्रबंध

11. सीआईटी उद्योग द्वारा कैश-इन-ट्रांजिट उद्योग तथा स्व-नियामक संगठन के संवर्धन हेतु नियम

विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर 07 फरवरी 2018 के वक्तव्य में, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके द्वारा गठित दो उच्च स्तरीय अंतर-एजेंसी समितियों की सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए एक समय सीमा की घोषणा की थी जिसमें खजाने की आवाजाही की सुरक्षा सहित मुद्रा प्रबंध में सुधार के उपायों हेतु सुझाव दिया गया था । इन समितियों ने, अन्य बातों के साथ, नकदी संचालन उद्योग हेतु न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने तथा इस उद्योग के लिए एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) को बढ़ावा देने हेतु सिफ़ारिश की थी।

i) रिजर्व बैंक द्वारा नवंबर 2006 में जारी "वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग तथा आचार संहिता में जोखिम प्रबंध पर दिशानिर्देशों" के तहत, बैंक स्तर पर नकदी प्रबंध तथा संचालन को बड़े स्तर पर कैश-इन-ट्रांज़िट कंपनियों (सीआईटी) तथा नकदी पुन:पूर्ति एजेंसियों (सीआरए) को आउटसोर्स किया जा चुका है। यद्यपि, वर्तमान में इस उद्योग हेतु कोई विनियमन अथवा पर्यवेक्षण नहीं है । इस क्षेत्र के अच्छे विकास को बढ़ावा देने तथा इन एजेंसियों के माध्यम से मुद्रा की आवाजाही से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए, रिजर्व बैंक को बैंकों को यह सुनिश्चित करवाने की आवश्यकता होगी कि उनके द्वारा निगमित की गई सीआईटी कंपनियाँ / सीआरए एजेंसियां न्यूनतम निर्धारित मानकों को पूरा करती हों। इस संबंध में बैंकों को एक माह के भीतर अनुदेश जारी कर दिए जाएंगे ।

ii) सीआईटी उद्योग तथा अन्य लागू क़ानूनों के लिए न्यूनतम मानकों का अनुपालन करने के क्रम में, बैंक नकदी प्रबंध उद्योग के लिए उपयुक्त संचालन संरचना बनने तक उद्योग के स्व-विनियमन के साथ विकास कार्य करने हेतु स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) को प्रोत्साहित करेंगे ।

12. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा

निजी डिजिटल टोकन के उदय तथा वैध कागजी मुद्रा/धातु मुद्रा की बढ़ती हुई लागत जैसे कारकों के साथ भुगतान उद्योग के परिदृश्य में तेजी से परिवर्तन ने पूरे विश्व के केंद्रीय बैंकों को कागजी डिजिटल मुद्रा तलाशने के अवसर हेतु प्रेरित किया है। यद्यपि अभी भी बहुत से केंद्रीय बैंक बहस में लगे हैं, रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा प्रारम्भ करने के लिए वांछनीयता तथा व्यवहार्यता पर मार्गदर्शन प्रदान करने तथा अध्ययन करने के लिए एक अंतर विभागीय समूह का गठन किया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट जून 2018 के अंत तक प्रस्तुत की जाएगी।

13. रिंग-फेसिंग ने वर्चुअल करेंसी से संस्थाओं को विनियमित किया

तकनीकी नवाचारों में, उन अंतर्निहित वर्चुअल करेंसी सहित, वित्तीय प्रणाली की दक्षता और समावेशकता में सुधार लाने की क्षमता है । तथापि, वर्चुअल करेंसी (वीसी), जिन्हें क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट के रूप में भी जाना जाता है, दूसरों के बीच, उपभोक्ता संरक्षण, बाजार अखंडता और मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं को बढ़ाता है।

रिजर्व बैंक ने बार-बार बिटक्वाईन्स सहित वर्चुअल करेंसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसे वर्चुअल करेंसी के लेनदेन से जुड़े विभिन्न जोखिमों के संबंध में आगाह किया है। संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं किसी भी व्यक्ति या व्यवसायिक संस्थाओं से कोई सौदा या कोई सेवा प्रदान नही करेगा जो वीसी में सौदा या निपटान करते हैं। विनियमित संस्थाएं जो पहले से ही ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं, एक निर्दिष्ट समय के भीतर इस संबंध से बाहर निकलेंगी। इस संबंध में एक परिपत्र अलग से जारी किया जा रहा है।

IV. वित्तीय समावेशन और साक्षरता

14. टेलर्ड वित्तीय साक्षरता सामग्री

विभिन्न लक्ष्य समूहों को वित्तीय शिक्षा देने के लिए एक 'एक आकार सभी में फिट बैठता है 'दृष्टिकोण उपेष्टतम है। विविध लक्ष्य समूहों को दी जाने वाली वित्तीय शिक्षा संबंधी सामग्रियों को उनके विशिष्ट लक्ष्य समूहों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक पांच विशिष्ट लक्ष्य समूहों अर्थात किसान, लघु उद्यमियों, स्कूल के बच्चे, स्व-सहायता समूह और वरिष्ठ नागरिक के अनुरूप वित्तीय साक्षरता सामग्री विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिन्हें प्रशिक्षकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस सामग्री को पांच पुस्तिकाओं के रूप में 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

15. लीड बैंक योजना का पुनर्निर्माण

बैंकों और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करके जिलों / राज्यों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए लीड बैंक योजना शुरू की गई थी। इस योजना की पिछली बार 2009 में 'उच्च स्तरीय समिति' श्रीमती उषा थोरात, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व उप-गवर्नर, की अध्यक्षता में समीक्षा की गई थी। कई वर्षों से वित्तीय क्षेत्र में कई बदलावों को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के 'कार्यपालक निदेशकों की समिति' का गठन किया है ताकि योजना की प्रभावकारिता का अध्ययन किया जा सके और इसके सुधार के लिए उपाय सुझाए जा सकें। इसके बाद समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं और प्रस्तुत सिफारिश के आधार पर लीड बैंक योजना को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित योजना के अनुदेश 15 दिनों के भीतर बैंकों को जारी किए जाएंगे।

V. डाटा प्रबंधन

16. आरबीआई डाटा साइंस लैब का निर्माण

एक पूर्ण सेवा केंद्रीय बैंक के लिए यह महत्वपूर्ण है, जैसे कि आरबीआई, जिसके पास विभिन्न जिम्मेदारियां है- मुद्रास्फीति प्रबंधन, मुद्रा प्रबंधन, ऋण प्रबंधन, भंडार प्रबंधन, बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन, वित्तीय बाजार आसूचना और विश्लेषण, और समग्र वित्तीय स्थिरता-के लिए प्रासंगिक आंकड़ों को प्रदान करने और इसके पूर्वानुमान, नॉउकास्टिंग, निगरानी और शीघ्र-चेतावनी का पता लगाने की योग्यताएं जो सभी नीति निर्धारण के लिए सहायक है, में सुधार के लिए सही फिल्टर का काम कर सके। सूचना एकत्र करने, कंप्यूटिंग क्षमता और विश्लेषणात्मक टूलकिट में चल रहे परिवर्तन की पृष्ठभूमि में, पॉलिसी बनाने में न केवल नियामक रिटर्न और सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों बल्कि डिजिटल दुनिया में उपभोक्ता इंटरैक्शन से संरचित और अवसंरचित रीयल-टाइम जानकारी की बड़ी मात्रा भी फायदेमंद है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि आरबीआई के भीतर एक डाटा साइंस लैब स्थापित करके बिग डेटा एनालिटिक्स की ताकत का लाभ उठाया जाए जिसमें विशेषज्ञ और नवोदित विश्लेषकों, आंतरिक और साथ ही साथ लेटरल, जो अन्य के साथ ही कंप्यूटर विज्ञान, डेटा विश्लेषिकी, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, अर्थमिति और / या वित्त में प्रशिक्षित हो, को शामिल किया जाएगा। यह अनुमान लगाया गया है कि यह इकाई दिसंबर 2018 तक शुरू हो जाएगी।